THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): (a) to (c) Yes, Sir. 'Persons' is a State subject as per Entry 4 of List-II State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India. It is, therefore, for the State Government to take appropriate acion in the matter.

Installation of tubewells/borewells in Maharashtra

2426. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme is instal tubewells and borewells in the rural and drought prone areas of Maharashtra;

(b) if so, the details thereof and the funds allocated during the last three years, year-wise;

(c) whether any targets have been fixed for this purpose; and

(d) if so, the details thereof and how these targets will be achieved?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) The scheme of Ganga Kalyan Yojana (GKY) was launched with effect from 1st February, 1997 all over the country including Maharashtra with the objective of providing irrigation through exploitation of ground water (borewells and tubewells) to individuals/group of individuals belonging to families below poverty line in rural areas in the form of bank credit and Government subsidy GKY is financed on 80 : 20 cost sharing basis between Centre as well as by States.

(b) to (d) Physical targets have not been fixed under GKY. However, credit targets have been fixed for the country including for Maharashtra. Under GKY credit target, Central Allocation and releases made in Maharashtra during 1996-97 and 1997-98 are given below:

(Rs. in lakhs)

Year	Central Allocation	Central Releases	Credit target
1996-97	744.00	810.05	2632.66
1997-98	1701.92	850.96**	5369.54

**This represents first of two installments.

मध्य प्रदेश को पेयजल परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि

2427. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :**
श्री अजीत जोगी :

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने और त्वरित जलापूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कुल कितनी धनराशि जारी की गई ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का पृथक् रूप से ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके लिए चालू वर्ष के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई और कितनी धनराशि स्वीकृत हुई; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) केन्द्र

सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए 198.202 करोड़ रुपए दिए गए थे।

(ख) इन योजनाओं को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, उप-मिशनों और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था जिनमें 19326 स्वच्छ पेयजल सुविधा न प्राप्त और 23339 आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधा प्राप्त बसावटों को लाभ मिला।

(ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी विशेष धनराशि की मांग नहीं की गई है। तथापि, 1997-98 के लिए 8817.0 लाख रुपए के आवंटन की तुलना में 4408.05 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने भूकंप से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के लिए 537.04 लाख रुपए की सहायता की मांग की है। केन्द्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत अग्रिम सहायता के रूप में 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की है।

(घ) राज्यों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत परियोजनाओं/योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन और मांडला जिलों के लिए दो परियोजना प्रस्ताव भेजे गए थे। इन परियोजना प्रस्तावों को क्रमशः 773.65 लाख रुपए और 450.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से अनुमोदित कर दिया गया है।

बेरोजगारी/अल्प रोजगार वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाना

2428. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला :**
श्री अजीत जोगी :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों में उन ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें रोजगारी और अल्प रोजगार विद्यमान हैं; और

(ख) क्या सरकार इन पिछड़े राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) और (ख) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए विशेष कार्य योजना को तैयार करने हेतु 100 सर्वाधिक पिछड़े और निर्धनतम जिलों के चयन के लिए मानदंडों की सिफारिश करने के वास्ते एक समिति गठित की गई है। इस समिति की पिछली बैठक 22 जुलाई, 1997 को हुई थी।

Central sponsored scheme under APMC Act, in Gujarat

2429. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:
SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 171 Agricultural produce Marketing Committees were set-up in Gujarat under APMC, Act, 1963 which was in operation till 31st March, 1992;

(b) whether it is a fact that the Government of Gujarat has approached the Union Government for the revival of the Central Sponsored scheme under the Act;

(c) if so, the decision taken by Government thereon; and

(d) the financial assistance proposed to be given for this purpose to the state Government during the current year and in further?